

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 168/2021

तारीख रजू 24.03.2021

शिवचरण पुत्र हजारी जाति जाट निवासी पिपलेट

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ

— रेस्पोंडेंट


निर्णय

दिनांक 22.07.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 52/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पिपलेट के आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गेहूँ की फलस काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेट्रोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 7 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर जिन्स गेहूँ संवत् 2077 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई है ना ही मौका देखा गया है, हल्का पटवारी की झूठी शिकायत को सत्य मानकर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलार्थी की प्रोपर तामील भी नहीं हुयी है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2101 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




वकील पुराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो की पशुओं के चारा चरने के काम आती है तथा अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है जिसका सबूत अदालत हाजा की पत्रावली बतौर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान सलंगन है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट के घर पर मौजूद नहीं मिलने की स्थिति में नोटिस की तामील खुले मकान पर चश्पा कर तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 11.02.2021 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान शामिल है जिससे अपीलान्ट बखूबी पश्चातवर्ती अतिचारी साबित होता है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अप्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर